

अति आवश्यक

3/7/2002-3एन0जी0आई0एस0
हरियाणा सरकार
मानव संसाधन विभाग
(एन0जी0आई0एस0 शाखा)

दिनांक: 15.02.2023

सेवा में

- 1 सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।
- 2 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
- 3 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुड़गाँव, रोहतक, करनाल तथा फरीदाबाद मण्डल ।
- 4 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
- 5 सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा
- 6 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

विषय:- अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के अन्तर्गत फार्म-1 में तथा उनके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आने पर/नियमित पदोन्नति होने पर फार्म-11 में इन्रोलमेंट सम्बन्धित सूचना भेजने बारे ।

महोदय/महोदया,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 3/7/2002-3एन0जी0आई0एस0 दिनांक 02-02-2022 (मूलपत्र दिनांक 29-10-2002) की ओर दिलाऊँ और सूचित करूँ कि प्रायः यह देखने में आया है कि बहुत कम विभागों द्वारा फार्म-1 तथा 11 में इन्रोलमेंट से सम्बन्धित सूचना सरकार को भेजी जा रही है । इस सम्बन्ध में यह भी सूचित किया जाता है कि जिन विभागों द्वारा यह सूचना भेजी जा रही है वह जी0आई0एस0 की हिदायतों तथा नियमों को ध्यान में रखकर नहीं भेजी जाती है । आपके ध्यान में यह भी लाया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाइन करने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती बारे जारी हिदायतें क्रमांक 1/5/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 13-10-1989 के पैरा-3 तथा ग्रुप सी, बी, ए के अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाइन करने पर जी0आई0एस0 की कटौती की सूचना हिदायतों क्रमांक 1/23/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 2-1-1990 के तहत फार्म-1 में भरकर सरकार को भेजी जाए तथा उनकी सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि भी दर्शाई जाए । अधिकारियों/कर्मचारियों के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में नियमित पदोन्नति होने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती की सूचना सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1985 के नियम 5(2) तथा हिदायतों क्रमांक 1/23/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 2-1-1990 के अंतर्गत [जनवरी (वर्षगांठ) से एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी की जी0आई0एस0 की कटौती करके] फार्म-11 में भरकर सरकार को भेजी जाए ।

2 आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने अधीन सभी डी0डी0ओज0 को निर्देश दें कि वे समय-समय पर फार्म-1 तथा फार्म-11 में इन्रोलमेंट सम्बन्धित सूचना अपने विभागाध्यक्षों को अवश्य भेजते रहें और विभाग यह सुनिश्चित करे कि सूचना चेक करने के उपरान्त ही सरकार को भेजी जाए तथा उक्त बताए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए । ताकि सरकारी सेवा में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नियमित तौर पर पदोन्नति किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के सही आंकड़ों तथा उनकी सही तरह से की गई जी0आई0एस0 की कटौती का सरकार को पता चल सके ।

अबु बाला

अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृ० क्रमांक 3/7/2002-3एन0जी0आई0एस0

दिनांक, चण्डीगढ़, 15 फरवरी 2023

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

- 1 प्रधान महालेखाकार (ए० एण्ड ई०), हरियाणा ।
- 2 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।

अबु बाला

अधीक्षक, एन0जी0आई0एस0
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार